सं०सं०—16 / एम 1—61 / 2025 —

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

उपेन्द्र राम,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त(वै0दा0नि0को0)विभाग, बिहार, पटना—800015

पटना, दिनांक—

विषयः— **किशनगंज जिला में कार्यरत नवनियुक्त यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा सिविल सर्जन कार्यालय में पदस्थापन की प्रतीक्षा में बितायी गयी अवधि का विनियमन के संबंध में।**

प्रसंगः— वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग का पत्रांक **PCFC/MED/RACS/2024/0640/2088(25) dated 27-12-2024**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि विज्ञापन संख्या 08 / 2020 के आलोक में बिहार तकनीकी सेवा आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या—305(आ०चि०), दिनांक—14.03.2024 द्वारा नवनियुक्त यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी को पूर्णतः औपबंधिक रूप से नियुक्त करते हुए 15 दिनों का चिकित्सीय प्रशिक्षण / जानकारी लेने हेतु विभिन्न जिलों में पदस्थापित किया गया।

आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने तथा भारत निर्वाचन आयोग से सहमति नहीं मिलने के कारण आदर्श आचार संहिता के समापन के उपरांत स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना सं0—743(आ०चि०), दिनांक—19.07.2024 द्वारा नवनियुक्त यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी को विभिन्न चिकित्सीय संस्थानों यथा अनुमंडलीय अस्पताल / सदर अस्पताल / अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों / जिला संयुक्त औषधालयों / राजकीय औषधालयों / आयुष कॉलेज अस्पतालों में पदस्थापित किया गया, जिसके आलोक में सभी नवनियुक्त यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी योगदान देकर कार्यरत है। इस प्रकार सभी नवनियुक्त यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी, सिविल सर्जन कार्यालय में अनिवार्य पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहे, जिसमें उनका कोई दोष नहीं है।

विभागीय पत्रांक 1397(आ0चि0) दिनांक 20.12.2024 द्वारा नवनियुक्त चिकित्सकों / फिजिशियनों के पदस्थापन की अनिवार्य प्रतीक्षा में बितायी गयी अवधि को कतिपय शर्तों के साथ विनियमन किया जा चुका है। वित्त(वै0दा0नि0को0)विभाग के प्रासंगिक पत्र के आलोक में जिन नवनियुक्त यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा (दिनांक—20.07.2024 के अपराह्न तक या दिनांक— 20.07.2024 के पश्चात् प्रभार ग्रहण

किया गया है) विनियमन की शर्ते पूरी कर ली गयी है उनका समेकित विनियमन सूचना अवधि सहित निम्नवत है –

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम एव पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थल	अवधि जिनका विनियमन किया जाना है।	अवकाश उपभोग की सूचना	यदि वेतन पुर्जा निर्गत हो गया है, तो वेतन पुर्जा सख्या यदि नही तो **PRAN/ GPF** सख्या	उपस्थिति विवरणी	सेवा विनियमन के प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डा० मो० जसीम अख्तर अनवर यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी	जिला संयुक्त औषधालय कक्ष सदर अस्पताल, किशनगंज	दिनाक - 16 03 2024 से 22 07 2024 तक 129 दिन	-	27012525061111	प्राप्त	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि
2	डा० मो० जुबेर यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी	अति०पा०स्वा० केन्द्र महीनगाँव, किशनगंज	दिनाक - 15 03 2024 से 22 07 2024 तक 130 दिन	–	04122425057639	प्राप्त	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि
3	डा० मो० नूर आलम, यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी	अति०पा०स्वा० केन्द्र मालावाडी बहादुरगंज	दिनाक – 16 03 2024 से 23 07 2024 तक 130 दिन	-	27012525061083	प्राप्त	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि
4	डा० समायला, यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी	अति०पा०स्वा० केन्द्र, दिघलबैंक	दिनाक – 15 03 2024 से 23 07 2024 तक 131 दिन	–	22112425056959	प्राप्त	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि
5	डा० जहाँ नवाज, यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी	अति०पा०स्वा० केन्द्र [illegible] पोठिया	दिनाक – 16 03 2024 से 23 07 2024 तक 130 दिन	–	10122425058024	प्राप्त	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि
6	डा० मो० हफीजुर रहमान यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी	अति०पा०स्वा० केन्द्र, खम्दह ठाकुरगंज	दिनाक – 18 03 2024 से 21 07 2024 तक 126 दिन	-	19112425056581	प्राप्त	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि

उक्त अवधि मे उनकी कोटि का वेतन देय होगा।

प्रस्ताव मे सहायक आतरिक वित्तीय सलाहकार एव सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/-

सरकार के अवर सचिव

पत्रांक - 897 (आ.चि.) दि० - 08.6.2026

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–सिविल सर्जन, किशनगज/कोषागार पदाधिकारी, किशनगज/सभी सबधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, किशनगज/अधीक्षक/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, किशनगज/ सबधित सभी नवनियुक्त यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– आई०टी० मेनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एव विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अपठित

08/06/2026

सरकार के अवर सचिव

Annu